

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]	दिल्ली, मंगलवार, जून 6, 2017/ज्येष्ठ 16, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 95
No. 214]	DELHI, TUESDAY, JUNE 6, 2017/JYAISTHA 16, 1939	[N.C.T.D. No. 95

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जून, 2017

**सं. एफ. ईडी 4(वि.-04)/एलएबी-ई 1/2017/2931.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित बाम्बे लिफ्ट अधिनियम, 1939 (1939 का बाम्बे अधिनियम सं. X) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली लिफ्ट नियमावली, 1942 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-**

- इन नियमों को दिल्ली लिफ्ट (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जा सकेगा।
- ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

**2. नियम 7 का संशोधन:**—दिल्ली लिफ्ट नियमावली, 1942 में (इसके पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 7 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3)(1) ऐसे प्रत्येक स्थान का मालिक जहां लिफ्ट लगाई गई है और उसको चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है, वह सुरक्षा की दृष्टि से लिफ्ट का परीक्षण और सुरक्षा के प्रमाणन के लिए वर्ष में एक बार किसी अधिकृत व्यक्ति से आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति लिफ्ट का परीक्षण तथा संस्थापन को प्रमाणीकरण करने के लिए अधिकृत नहीं होगा जब तक कि वह इस नियमावली की तृतीय अनुसूची में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूर्ण न करता हो।

**3. तृतीय अनुसूची का सन्निवेशन:**—उक्त नियमावली में द्वितीय अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची सन्निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :-

### “तृतीय अनुसूची

#### लिफ्ट का परीक्षण कार्य करने के लिए व्यक्ति को अधिकृत करने हेतु प्रक्रिया एवं अपेक्षाएं (नियम 7 (3)(2)देखें)

- (1) (i) सरकार ऐसे व्यक्तियों को जो खंड (2) में उल्लिखित लिफ्ट संस्थापन, परीक्षण तथा प्रमाणन की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें अधिकृत कर सकती है;
- (ii) सरकार ऐसे अधिकृत व्यक्तियों के अधिकार को निलंबित या समाप्त भी कर सकती है जहां ऐसा किए जाने के लिए कारण हैं और इसके लिए लिखित रूप में कारण बताने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।
- (2) जो व्यक्ति लिफ्ट के परीक्षण और प्रमाणन कार्य हेतु प्राधिकार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा, अर्थात् :-
- (क) **शैक्षिक योग्यता :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रीकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके समकक्ष, इसके साथ लिफ्टों के संस्थापन निर्माण एवं परीक्षण सहित इलैक्ट्रीकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्रमशः कम से कम पाँच/दस वर्षों का अनुभव;
- (ख) आवेदन जमा करवाने की तिथि पर 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए; तथा
- (ग) आधार संख्या की प्रति तथा दिल्ली में आवास/कार्यालय परिसर के प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
संजय कुमार सक्सेना, सचिव (श्रम)

## LABOUR DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 5th June, 2017

**No. ED4(Misc.-04)/Lab-EI/2017/2931.**—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Bombay Lifts Act, 1939 (Bombay Act No. X of 1939) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules to amend the Delhi Lifts Rules, 1942, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Delhi Lifts (Amendment) Rules, 2017.  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Amendment of rule 7.**—In the Delhi Lifts Rules, 1942 (hereinafter referred as the said rules) in rule 7, after sub-rule (2), the following shall be inserted, namely :—  
“(3)(1) Every owner of a place, where a lift is installed for which a licence to work has been granted, shall make necessary arrangement to get the lift tested and certified for safety, once in a year from an authorized person;  
(2) No person shall be authorized to carry out testing and certifying the installation of lifts unless such person fulfills the requirements laid down in the Third Schedule to these rules.”
3. **Insertion of the Third Schedule.**—In the said rules, after Second Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely:—

### “THE THIRD SCHEDULE

#### Procedure and requirements for authorization of persons to carry out testing of the lifts (see rule 7(3)(2))

- (1) (i) The Government may authorize certain persons who fulfills the eligibility criteria as mentioned in clause (2) for the purpose of testing and certifying lift installations;
- (ii) The Government may also suspend or revoke authorization whenever there are reasons for the same after giving a reasonable opportunity in writing to such authorized person.

- (2) An application alongwith necessary documents shall be made by a person who fulfills the following criteria for seeking authorization to carry out testing and certifying the lifts, namely:—
- (a) **Educational qualification:** Possess a Degree/Diploma in Electrical/ Mechanical Engineering or its equivalent from a recognized university or institution with at least five/ten years of experience, respectively, in the field of Electrical/ Mechanical Engineering relevant with installation, erection and testing of lifts;
  - (b) shall not have attained the age of 65 years on the date of submission of application; and
  - (c) shall submit a copy of Aadhaar number and copy of proof of residence/ office premise in Delhi.”

By Order and in the Name of Lt. Governor  
of National Capital Territory of Delhi,  
SANJAY KUMAR SAXENA, Secy. (Labour)